## —:: आदेश ::—

विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकारराज की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन के बाद वादीगण का वादपत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वादपत्र में वर्णित भूमि में नाम बाबत दुरूस्ती, खातेदारी अधिकारों की घोषणा व 136 भू–राजस्व अधिनियम में इस आशय की घोषणा फरमाई जाती है कि तहसील हनुमानगढ़ के चक 21 एच.एम.एच. के खाता संख्या 6/8 व चक 22 एच. एम.एच. के खाता संख्या 25/21 में वादी संख्या 1 का नाम ''करनैल सिहं पुत्र खेता सिहं'' के स्थान पर ''फरनैल सिहं पुत्र श्री खेता सिहं'' अंकित करने का आदेश दिये जाते है तथा इसी प्रकार वादी संख्या 2 का नाम चक 21 एच.एम.एच. के खाता संख्या 6/8 में ''चन्द सिहं पुत्र खेता सिहं'' के स्थान पर ''चड़ सिहं पुत्र श्री खेता सिहं'' अंकित करने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश दिये जाते है।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 27-11-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मिलान किया

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलैक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner